

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-rj@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./आंधी-तूफान/2021-22/स्वीकृति/2022/1589-95

दिनांक: 05/07/2022

-: आदेश :-

तहसील कार्यालय छोटीसादड़ी के पत्र क्रमांक: सहायता/2022/15 दिनांक 15.05.2022 द्वारा उनके तहसील क्षेत्र में आंधी-तूफान से मकानक्षति पर पीड़ित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंसा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है ।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार छोटीसादड़ी की अनुशंसा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 01 (01) (D) में वर्णित प्रावधानानुरूप व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आंधी-तूफान से मकानक्षति होने से हुई क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01	श्री मिठदूलाल पिता नारायण खटीक निवासी बम्बोरी प.म. बम्बोरी तहसील छोटीसादड़ी	दिनांक 27.05.2021 को आंधी-तूफान से पक्का मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर	5200/-रु.
कुल योग			5200/-रु.

(अक्षरे पांच हजार दौं सो रुपये मात्र)

नोट:-

1. राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02- बाढ़/चक्रावात, 113-घर की मरम्मत, पुनःनिर्माण हेतु सहायता (09)-बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/ पुनःनिर्माण के लिए सहायता, 07- आंशिक क्षतिग्रस्त घर, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)

- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./आंधी-तूफान/2021-22/स्वीकृति/2022/1589-95
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक: 05/07/2022

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी।
- तहसीलदार, छोटीसादड़ी।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़